न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef unite for children

SPUP Knowledge Is Power

Center for Child protection

दिसम्बर 2016 अंक: 5

आभार : IIS University, Jaipur

निदेशक की कलम से

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके बचपन को सुरक्षित करने पर काम करना होगा। एक ऐसा बचपन जिसमें उनका सम्पूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास संभव हो। बच्चों में प्रौढ़ व वयस्कों की तरह सोचने एवं समझने की क्षमता नहीं होती। कई बार कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने का सामर्थ्य भी नहीं होता। यही कारण है कि बालकों को सामान्य कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। बालकों के लिए अनेक विशेष कानून बनाये गये है। संविधान में भी बालकों के लिए विशेष उपबन्ध किये गये हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 82 में बालकों अथवा किशोरों को, जिनकी आयु सात वर्ष से कम है उनको "doli capax" (अपराध कारित करने का सामर्थ्य होना) के सूत्र के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। तथा धारा 83 में सात वर्ष से अधिक एवं बारह वर्ष से कम आयु के बालकों के आपराधिक कार्य भी "doli incapax" (अपराध कारित करने का सामर्थ्य नहीं होना) संरक्षित है। बशर्ते बालक/बालिका अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो। समाज का ध्येय सदैव बालकों को सुधरने के अवसर देने वाला होना चाहिए। यदि आज हम इन आपराधिक कार्यों में लिप्त बालक/बालिकाओं को सुधरने का अवसर नहीं देंगे तो संभव है कि वह भविष्य में सही मार्गदर्शन के अभाव में बड़ी गलतियां/अपराध कारित कर दें।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए अलग से कानून बनाऐ गये हैं, जैसे बाल अधिनियम 1960, किशोर न्याय अधिनियम 1986, किशोर न्याय (देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 आदि।

किशोर न्याय (देखरेख व संरक्षण) 2015 का उददेश्य विधि से संघर्षरत बालकों तथा उपेक्षित, निराश्रित तथा संरक्षण विहीन बालकों जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है, को संरक्षण प्रदान कर समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित करना है। इस हेतु इन बच्चों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए पुलिस संपर्क की प्रथम कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसलिए पुलिस का बच्चों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। पुलिस के सम्पर्क में आए बच्चों को तात्कालिक देखभाल, संरक्षण, आश्रय, परामर्श एवं कानूनी मदद मुख्य है। इन सभी जिम्मेदारियों का वहन तभी संभव है जब विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) एवं अन्य पुलिस अधिकारी बाल संरक्षण के मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और दक्ष होंगे। पुलिस बल में इस संवेदनशीलता और दक्षता को बढाने के लिए क्षमताओं का विकास आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से प्रकाशित इस न्यूज लेटर में हमनें किशोर न्याय अधिनियम 2015 में निहित विशेष किशोर पुलिस इकाई विषय को चुना है। इस न्यूज लेटर के विशेष किशोर पुलिस इकाई विशेषांक के माध्यम से हम राज. पुलिस में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों को इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेन का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं आशा करता हूँ कि इस न्यूज लेटर के माध्यम से बाल मित्रवत् प्रक्रियाओं के मार्गदर्शन एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ पुलिस को समन्वय बनाने में मदद मिलेगी। सधन्यवाद!

—डॉ. भूपेन्द्र सिंह (IPS)

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

विशेषांक : विशेष किशोर पुलिस इकाई

विशेष किशोर पुलिस इकाई

पृष्ठभूमि :–

किशोर न्याय अधिनियम (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) 2015 बहुत कम अवधि में बना अर्थात 15 वर्षों बाद सन् 2000 के अधिनियम को निरसित कर यह अधिनियम बनाया गया। इसके पीछे कुछ घटनाऐं महत्वपूर्ण रहीं है। जैसे हाल के वर्षों में 16–17 वर्ष आयु वर्ग के बालकों द्वारा कारित किये जाने वाले अपराधों के बढ़ते मामले यह स्पष्ट करते हैं कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 विद्यमान उपबंध और इसके अधीन प्रणाली इस आयु वर्ग के बालकों से संबंधित अपराधों को दूर करने से सुसज्जित नहीं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा संग्रहित डाटा यह सुस्थापित करता है कि 16–18 आयु वर्ग के बालकों द्वारा कारित किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कतिपय प्रवर्गों के जघन्य अपराधों में। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में घटी, बलात्कार की घटना जिसे निर्भया केस के नाम से जाना गया। इस केस में देश और न्यायालस के समक्ष बेहद कठिन परिस्थितियां और सवाल उस समय खड़े हुए जब निर्भया के बलात्कार के केस में एक किशोर को भी शामिल पाया गया।

इसके साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के खण्ड (3), अनुच्छेद 39 के खण्ड (ड़) और खण्ड (च) अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 47 कि उपबन्धों के अधीन यह सुनिश्चित किया गया है कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाने की शक्तियां भी प्रदान की गई और साथ ही कर्त्तव्य भी अधिरोपित किए गये हैं।

बालकों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थन किया गया था, यह राज्य पक्षकारों से यह अपेक्षा करता है, कि वे शास्तिक विधि के उल्लघंन के ऐसे किसी मामले में, जिसमें बालक एक अभियुक्त है या किसी बालक को अभियुक्त के रूप में अभिकथित किया गया है, सभी राज्य उपयुक्त उपाय करेंगे, जिसके अन्तर्गत –

(1) बालक के साथ ऐसी रीति में व्यवहार करना, जो बालक की प्रतिष्ठा और महत्व की भावना के संवर्धन से सुसंगत हो।

(2) बालक में मानव अधिकारों और अन्य व्यक्तियों की मूल स्वतंत्रताओं के लिए आदर को सुदृढ़ करने।

(3) बालक की आयु को ध्यान में रखते हुए और बालक का समाज के साथ पुनः सुमेलन का संवर्धन करने और एक सकारात्मक भूमिका धारण करने की इच्छा को ध्यान में रखने जैसे उपाय भी है।

ऊपर उल्लेखित मुद्दों का समाधान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में किया गया है। इस अधिनियम की धारा 107 के अनुसार ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' के गठन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि पुलिस का सीधे एवं लगातार किशोर के साथ संपर्क रहता है। और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता महसूस होती है। अधिनियम के अन्तर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई हेतु किये गए उपबंध बाल संरक्षण/विधि से संघर्षरत किशोरों के अधिकार सुनिश्चित करने तथा पुलिस अधिकारियों को बाल हितैषी पुलिस बनाने के उददेश्य से बनाये गये हैं।

''बच्चों के विरूद्ध लैंगिक हिंसा रोकथाम अधिनियम (पोक्सो) 2012'' तथा किशोर न्याय (देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गयी है।

क्या है विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी?

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अनुसार 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' एवं 'विशेष किशोर पुलिस इकाई' के बारे में प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर सहायक उपनिरिक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित (Designate) किया जायेगा। ऐसे अभिहित किये जाने वाले पुलिस अधिकारी के लिय यह आवश्यक होगा की वह

(1) योग्य हो, (2) उसने समुचित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो एवं (3) स्थिति का ज्ञान हो (बालकों के संदर्भ में)

इस प्रकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले एवं शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है। इसका नेतृत्व उप पुलिस अधिक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा इनको विशेष प्रशिक्षण बाल संरक्षण के क्षेत्र मे दिया जाता है।

इस प्रावधान की उपधारा (4 में) यह कहा गया है, कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्तर्गत बालकों से संबंधित रेलवे पुलिस भी है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई
|
जिला पुलिस अधीक्षक / उपायुक्त
(अध्यक्ष)
|
नोडल अधिकारी

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रत्येक थाने में | सामाजिक कार्यकर्त्ता | सामाजिक कार्यकर्त्ता (महिला)

विशेष पुलिस इकाई में नियुक्त पुलिस अधिकारियों को किन बातों को ध्यान में रखने कि आवश्यकता है?

- बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहां तक संभव हो सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्मसम्मान बनाए रखेगा।
- जहां कहीं भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते है, जो बालक को असहज बना सकते है, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।
- जब किसी बालक के विरूद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रति शिकायतकर्त्ता और पीड़ित बालकों को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों कि एक प्रतिलिपी शिकायतकर्त्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।
- किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाएगा, जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं लाया जाएगा।

- विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी :

1. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घण्टे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और सम्पर्क ब्यौरा, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और सम्पर्क ब्यौरा एवं बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
2. इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं का सम्पर्क ब्यौरा।

- विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और सम्पर्क ब्यौरे, पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डों और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किये जाएंगे।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा निरूद्धगी या संरक्षण व देखरेख वाले बालक को 24 घण्टे (यात्रा में लगे समय को छोड़कर) के भीतर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा (धारा 10)।
- विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जायेगा उनको संप्रेक्षणगृह या सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा।

विधि से संघर्षरत बालक कौन है ?

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(13) के अनुसार– ''विधि से संघर्षरत बालक'' से अभिप्राय ऐसे बालक से है –

1. जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपराध कारित किया है, या
2. अपराध कारित करते हुए पाया गया है, एवं
3. जो अपराध कारित किये जाने के समय 18 वर्ष से कम आयु का रहा है।

यहां उल्लेखनीय है कि ऐसे बालक को 'अभियुक्त' अथवा अपराधी (Accused) नाम नहीं दिया गया है।

पुलिस अधिकारी द्वारा निम्नलिखित उचित शब्दावली का प्रयोग किया जायेगा।

अनुचित	उचित
1. आरोपी, अपराधी (Accused)	विधि से संघर्षरत किशोर (Juvenile in conflict with law)
2. गिरफ्तार (Arrest)	निरूद्ध (Apprehension)
3. पुलिस अनुसंधान (Police Investigation)	पुलिस जाँच (Inquiry)
4. ट्रायल (Trial)	जांच (Inquiry)
5. हिस्ट्री शीटर (History Sheeter)	रिपीटर (Repeater)
6. किशोर का भागना	किशोर का पलायन (Escape)

अपराध के प्रकार :–

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 में तीन प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है, अर्थात अपराधों को तीन वर्ग में रखा गया है यथा :–

प्रकार	भारतीय दण्ड संहिता (1860), या किसी अन्य विधि के अधीन दण्ड
1. जघन्य अपराध (Heinous Offences) उदाहरण :– बलात्संग, हत्या आदि।	न्यूनतम सात वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध (धारा 2(33))
2. छोटे अपराध (Petty Offences)	तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध (धारा 2(45))
3. घोर अपराध (Serious Offences) उदाहरणः– गर्भपात कारित करना, स्वेच्छया अम्ल फेंकना, लूट का प्रयत्न आदि।	तीन से सात वर्ष के बीच की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध (धारा 2(54))

''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक'' से क्या अभिप्राय है ?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (14) में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा दी गयी है।

1 जिसे गृह विहीन अथवा किसी निश्चित स्थान पर निवास स्थान के और जीवन निर्वाह के किसी सदृश्य साधन के बिना पाया जाता है, अथवा

2 जिसे तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हुए पाया जाता है अथवा भिक्षा मांगते हुए या सड़क पर आवारागर्दी करते हुए पाया जाता है, अथवा

3 जो किसी व्यक्ति के साथ (चाहे वह उस बालक का संरक्षक हो या नहीं) निवास करता है और उस व्यक्ति ने–

(क) उस बालक को आहत किया है, उसका शोषण किया है या दुरूपयोग किया है या प्रताड़ित किया है अथवा उसकी उपेक्षा की है या बालक के संरक्षण हेतु बनाई गयी तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि का उल्लंघन किया है, अथवा

(ख) उस बालक को मार डालने, आहत करने, उसका शोषण करने या दुरूपयोग करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है। अथवा

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों को मार डाला है, उनका दुरूपयोग किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक के उस व्यक्ति द्वारा मार डाले जाने, दुरूपयोग किये जाने, शोषण किये जाने या उपेक्षा किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है। अथवा

(घ) जो मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है या जो घातक या असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसे आश्रय देने वाला या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अथवा जिसके माता–पिता या संरक्षक देखभाल करने में असमर्थ, अयोग्य है बशर्ते ऐसा परिषद् या समिति द्वारा पाया गया हो। अथवा

(ड़) जिसके माता या पिता अथवा संरक्षक है और ऐसे माता या पिता अथवा संरक्षक का उस बालक पर नियंत्रण और उसकी सुरक्षा तथा भलाई को संरक्षण प्रदान करने के लिए समिति अथवा परिषद् द्वारा असमर्थ या अयोग्य होना पाया गया हो। अथवा

(च) जिसके माता पिता नहीं है अथवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो उसके देखरेख करने का इच्छुक हो, अथवा जिसके माता–पिता ने उसे परित्यक्त कर दिया है या उसका अभ्यर्पण कर दिया है। अथवा

(छ) जो गुमशुदा बालक है अथवा जिसके माता पिता को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात नहीं पाया जा सकता है । अथवा

(ज) जिसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार अथवा अवैध कार्यों के प्रयोजनार्थ दुरूपयोग किया गया है, जिसे यातना दी गई है या जिसका शोषण किया गया है अथवा उसका ऐसा किया जा रहा है या किया जाने की संभावना है। अथवा

(झ) जिसका मादक द्रव्यों में या दुव्यापार के कार्यों में लगा दिया जाना पाया गया है और उसका इस प्रकार लगाया जाना संभाव्य है। अथवा

(ण) जिसका अन्तःकरण विरूद्ध अभिलाभ के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है अथवा किया जाना संभाव्य है। अथवा

(ट) जो किसी सशक्त, संघर्ष, सामाजिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो अथवा उसके द्वारा प्रभावित हो। अथवा

(ठ) जो विवाह की आयु को प्राप्त करने के पूर्व विवाह के किये जाने के आसन्न जोखिम में है और जिसके माता पिता, परिवार के सदस्य, संरक्षक एवं अन्य किसी व्यक्ति का उस विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होना संभाव्य है।

बालक कौन है, उसकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाए ?

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (13) के अनुसार शब्द बालक (Child) की परिभाषा दी गई है। बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'बालक' एवं 'किशोर' की परिभाषा एक जैसी है। किशोर भी ऐसे व्यक्ति को माना गया है। जो 18 वर्ष से कम आयु का है।

आयु का निर्धारण

(1) जन्म प्रमाण पत्र
(2) विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर
(3) चिकित्सीय राय अर्थात रिपोर्ट
(4) अन्य दस्तावेज, आदि के द्वारा किया जाएगा।

''दरगा राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (ए. आई. आर 2015 एस.सी 1016) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे बहरे एवं गूंगे व्यक्ति की आयु का निर्धारण केवल चिकित्सीय बोर्ड की राय के आधार पर किया जा सकता है जिसने विद्यालय में कभी प्रवेश नहीं लिया है।

16 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वयस्क अपराधियों की तरह दण्डित किये जाने के विकल्प की व्यवस्था की गई है, यदि वो जघन्य अपराधों में लिप्त पाये जाते हैं।

धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बालक जांच के दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। वहां उसके विरूद्ध जांच को वैसे ही जारी रखा जा सकेगा मानो वह अभी बालक हो अर्थात उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

धारा 6 के अनुसार यदि निरूद्धगी के समय बालक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लेकिन अपराध कारित किये जाने के समय 18 वर्ष से कम आयु का था तो जांच में उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा जो 'बालक' के लिए किया जाता है।

धारा 23 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को उस व्यक्ति के साथ जो बालक नहीं है, किसी अपराध के लिए संयुक्त कार्यवाही नहीं की जावेगी।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की जमानत को लेकर प्रावधान क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 के अनुसार जब किसी बालक ने जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया हो तो, पुलिस द्वारा उसे निरूद्ध किया जाता है, या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है। तब दण्ड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी बालक को प्रतिभू के साथ या बिना जमानत पर छोड़ा जायेगा।

बालक की जमानत नामंजूर करने के केवल तीन आधार हो सकते है।

1. बालक को जमानत पर छोड़े जाने पर अपराधियों की संगत में पड़ने की संभावना लगे। अथवा
2. ऐसा बालक नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तौर पर संकट में पड़ जाएगा। अथवा
3. न्याय के उद्देश्य विफल हो जायेंगे।

जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है तब ऐसे बालक की ''शर्तों में उपांतरण'' (Modification of Conditions of Bail) हेतु बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा ।

संजय चन्द्र बनाम सी.बी.आई. ((ए.आई.आर.) 2012 एस.सी. 830) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत का मुख्य उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य न तो दण्डात्मक है ना ही निवारणात्मक है।

धारा 13 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पते, तारीख व सूचना उसके माता–पिता या संरक्षक को दी जावेगी और उन्हें बालक की विधि का भंग करने के व्यवहार की जानकारी दी जावेगी तथा परीवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर बाल कल्याण अधिकारी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाकर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा।

'निरर्हताओं के हटाए जाने' (Removal of Disqualification) के बारे में प्रावधान?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार कोई बालक जिसने अपराध कारित किया है और जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है उस विधि के अन्तर्गत अपराध की दोष सिद्ध से संबंधित किसी अनर्हता से प्रभावित नहीं होगा, परन्तु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है या उससे अधिक है उसे बाल न्यायालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम धारा 19 की उपधारा 1(1) के अनुसार वयस्क के रूप में विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है तो उस पर यह उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

किशोर न्याय बोर्ड यह आदेश करेगा कि उस दोषसिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि की समाप्ति के पश्चात नष्ट कर दिया जाये।

अपवादः लेकिन जघन्य अपराधों से संबंधित अभिलेखों को जो बालक की दोष सिद्धि से संबंधित है, बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित (Retain) किया जायेगा।

पलायन करने वाले बालक (Run Away Child) के बारे में प्रावधान क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 26 विशेष गृह, संप्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति की देखरेख में जिसको अधिनियम के अन्तर्गत विधि के साथ विरोध वाले बालक को भेजा गया है। यदि उनकी देख–रेख से बालक भाग चुका हो तो कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपने प्रभार में ले सकता है और उसे मूल आदेश पारित करने वाले बोर्ड के समक्ष जहाँ बालक पाया गया है, पेश किया जायेगा। ऐसे पलायन करने वाले बालक के विरूद्ध कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

बालक की प्रहचान प्रकटन के प्रतिषेध पर प्रावधान

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत बालक से संबंधित किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या दृश्य–श्रव्य माध्यम से कोई भी रिपोर्ट में ऐसे बालक का नाम, पता या विद्यालय की पहचान से संबंधित की सूचना को प्रकाशित नहीं किया जायेगा जिससे की बालक की पहचान हो सकती है और न ही बालक का चित्र प्रकाशित किया जायेगा लेकिन जांच करने वाला बोर्ड या समिति ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगी यदि ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में है।

इसका उद्देश्य ऐसे बालको में (1) हीन भावना पनपने (2) समाज में कलंकित होने (3) भावी जीवन में पड़ने वाले कुप्रभाव से संरक्षण करना है।

बलात्संग से पीड़ित महिलाओं का निर्णयों में नाम प्रकट नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई है।

"भूपेन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश" (ए.आई.आर 2003 एस.सी.4684) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में बलास्तंग से पीड़ित महिलाओं का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उसके भावी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक यही बात बालकों के संबंध में भी लागू होती है।

पुलिस द्वारा प्रकटन नहीं किया जाना–पुलिस द्वारा भी चरित्र प्रमण पत्र के प्रयोजनार्थ या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं किया जायेगा जहां कि मामला

(1) बन्द किया जा चुका है, या

(2) उसका निपटारा किया जा चुका है, या यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे

(1) छः माह तक की अवधि के कारावास, या

(2) दो लाख रूपये तक के जुर्माने या

(3) दोनों से दण्डित किया जाएगा

विचारण, जमानत एवं संज्ञेयता की दृष्टि से अपराधों का वर्गीकरण?

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 86 के अनुसार –

अपराध	संज्ञेय / असंज्ञेय	जमानतीय अजमानतीय	विचारण न्यायालय
1. सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डित अपराध	संज्ञेय	अजमानतीय	बालक न्यायालय
2. तीन वर्ष एवं उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय
3. तीन वर्ष से कम की अवधि के कारावास या केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट

संज्ञेय अपराध : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (ग) के अनुसार जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है।

असंज्ञेय अपराध : संहिता की धारा 2 (ठ) जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

बाल न्यायालय : बालकों का न्यायालय का अभिप्राय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन विशेष न्यायालय, जहां कहीं विद्यमान हो, से है और जहां ऐसे न्यायालयों को पदनामित नहीं किया गया है तो वहां अधिनियम के अधीन अपराधों के विषय में विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले सत्र न्यायालय से है।

ओमप्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 545) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है। जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सुर्खियों मे सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

भरतपुर. पुलिस विभाग की कार्यशाला में उपस्थित संभागी।

पुलिस ने सीखे अपराध से जुड़े बालकों के साथ बर्ताव के गुर

बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन

भास्कर संवाददाता | भरतपुर

सरदार पटेल पुलिस एवं दांडिक विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से मंगलवार को एसपी ऑफिस सभागार में बाल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला में पुलिस ने अपराध से जुड़े बालकों के साथ बर्ताव के गुर सीखे। इस मौके पर विश्वविद्यालय की कॉर्डिनेटर श्रद्धा पांडेय एवं प्रोग्राम मैनेजर डा. बृजेंद्र सिंह ने कार्यशाला में मौजूद मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम और जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी तथा विशेष किशोर पुलिस सहयोगियों को जे जे एक्ट 2015 के नए प्रावधानों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर खास तौर पर अपराध से जुड़े बाल अपचारियों के साथ पुलिस के बर्ताव के संबंध एवं उनके संरक्षण की खासी जानकारी दी गई। कार्यशाला सुबह 11.30 से शाम 4.30 बजे तक चली। इस मौके पर बच्चों को लेकर छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई।

बाल अपचारियों को अपराध की धारा से अलग करने और समाज में स्थापित करने के गुर भी सिखाए गए। कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भरत लाल मीणा ने किया। कार्यशाला में उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सैल राम किशोर मीना, एएचटीयू प्रभारी भंवर लाल बुनकर विशेष रूप से मौजूद रहे। समापन के अवसर पर एपी कैलाश चंद विश्नोई ने कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

दैनिक नवज्योति

बाल सरंक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स

प्रथम बैच की कक्षा शुरू

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्यूरिटी एण्ड क्रिमिनल जस्टिस के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के जयपुर कैंपस में प्रथम बैच की कक्षा की शुरूआत हुई। इसमें प्रथम कक्षा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी उमेश मिश्रा ने ली और प्रथम बैच के प्रतिभागियों को मानवाधिकार, बाल अधिकार और पुलिस के अंतः संबंधों के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने मानवाधिकार की उत्पति से अभी तक मानवाधिकार के विकास की प्रकिया की चर्चा की। इसके बाद डायरेक्टर प्रोफेसर प्रभाकर गोस्वामी ने बेघर बच्चों, आश्रित बच्चों, विस्थापन एवं बच्चों पर केस स्टडी प्रस्तुत की। अगले सत्र में राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने बाल अधिकार एवं मानवाधिकार पर व्याख्यान दिया। प्रोग्राम मैनेजर प्रवीण सिंह ने बताया कि यह कोर्स इस तरह का प्रथम सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में बाल संरक्षण की जानकारी और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

पुलिस अधिकारियों की आमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

संयुक्त परिवारों के विघटन व एकाकी जीवन से बढ़ रही है अपराध प्रवृति : प्रफुल्ल कुमार

जयपुर, (कासं)। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(अपराध)जयपुर प्रफुल्ल कुमार ने कहा है कि भौतिक व तकनीकी उन्नति के साथ-साथ संयुक्त परिवारों के विघटन एवं दिनों दिन एकाकी होते जा रहे पारिवारिक जीवन की वजह से बच्चों व किशोरों में विभिन्न अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के प्रयास हर स्तर पर किये जाने चाहिये। प्रफुल्ल कुमार आज सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के बाल संरक्षण केन्द्र, जयपुर एवं पुलिस आयुक्तालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष किशोर पुलिस शाखा के चुनिंदा पुलिस अधिकारियों की एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता थे।

उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में अबोधता होती है, लेकिन उनमें ऊर्जा भरपूर होती है, इस उर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग के प्रयास किये जाने चाहिये। अगर वक्त रहते बच्चों की इस उर्जा को सकारात्मक दिशा नहीं दी जाये तो वे आसानी से नकारात्मकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं व आगे चल कर गम्भीर अपराधी के रूप में सामने आते हैं। आधुनिक संचार क्रान्ति एवं भौतिक उन्नति के धुंधले पक्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों व किशोरों की इन्टरनेट, मोबाईल व सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सामग्री आसानी से उनकी पहुँच में है जिनकी वजह से वे न केवल भ्रमित हो रहे हैं बल्कि जाने-अनजाने अनेक अपराधों को भी कर बैठते हैं, चूंकि 18 वर्ष की उम्र तक कानूनी रूप से उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता व उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब किसी बालक या किशोर के साथ किसी प्रकार का अपराध हो जाता है तो वह जीवन भर के लिये उस बालक के मन को अपराधबोध से भर देता है।

आजकल बच्चे घर व बाहर हिंसा व शोषण का शिकार हो रहे है और नशे व अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। बच्चों का बाल श्रम, भीख मंगवाने के साथ-साथ विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण जैसे मामले बढ़ रहे है जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये चिन्ता का विषय है। बालकों के साथ होने वाली कुत्सित ज्यादतियों पर लगाम लगाने हेतु अनेक कानूनी प्रावधान किये गये हैं लेकिन इन प्रावधानों की पालना के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण में लगी स्वंयसेवी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को मिल कर संवेदनशीलता से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी व उन्हें समुचित सुरक्षा का वातावरण प्रदान कर बच्चों के माता-पिता सहित समाज के सभी वर्गों को संवेदनशील होना होगा।

यूनिसेफ के बाल संरक्षण राज्य परामर्शदाता दिनेश कुमार ने यूनिसेफ का परिचय देते हुए बताया कि यूनिसेफ 190 देशों में बालकों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। यूनिसेफ 18 वर्ष तक के बच्चों के जीवन के बहुआयामी विकास की भावना से उनके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने कार्यशाला में शिरकत कर रहे प्रतिभागी पुलिस अधिकारियों को बताया कि बालकों व किशोरों के साथ अपराध होने पर पुलिस अधिकारियों को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिये।

आरपीए की सहायक निदेशक अनुकृति उज्जैनिया ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष किशोर न्याय पुलिस शाखा के अधिकारियों को किस प्रकार से उनसे हुए अपराध के मामलों में उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए क्या-क्या कदम उठाने चाहिये व कैसे उनमें विश्वास जागृत कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करवानी चाहिये के बारे में प्रकाश डाला। मनोवैज्ञानिक डॉ. चंचल पाल ने बालकों व किशोरों के साथ अपराध होने पर पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार से उन्हें मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिये के बारे में गहन जानकारिया साझा की।

बाल संरक्षण केन्द्र, जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी-क्षमता संवर्द्धन डॉ. विजेन्द्र सिंह ने कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के इस केन्द्र ने पुलिस अधिकारियों व बच्चों से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के संवर्द्धन, ज्ञानवर्द्धन व पेशेवर निपुणता बढ़ाने के लिये बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया गया है। इस पाठ्यक्रम में बाल एवं मानवाधिकार, बाल संरक्षण का परिचय, बालकों के साथ कार्य, वैधानिक प्रावधान एवं बाल संरक्षण व समवर्ती फील्डवर्क 6 माह के दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के अन्त में सभी प्रतिभागियों को बाल संरक्षण केन्द्र के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विजेन्द्र सिंह ने प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया।

नये रजिस्ट्रार की नियुक्ति : सरदार पटेल पुलिस युनिवर्सिटी में श्री भंवर लाल मेहरा (आई.ए.एस.) की नियुक्ति युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के रूप में हुई।

नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) के चार विद्यार्थियों Giovanna Gimena Chandler, Tsega Chimdessa Fekadu, Namrata Ramchandran, Zachariah Karunakaran ने सरदार पटेल पुलिस युनिवर्सिटी के सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में उठाये जा रहे कदमों की जानकारी प्राप्त की एवं उप कुलपति डॉ. भूपेन्द्र सिंह (आई.पी.एस.), राजस्थान पुलिस महानिदेशक श्री मनोज भट्ट से मुलाकत करके जाना कि किस प्रकार राजस्थान पुलिस बच्चों के अधिकारों, उनके विकास एवं सुरक्षा के लिए कटिबद्व है।

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in
न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान
संपादकीय टीम :– डॉ भूपेन्द्र सिंह, संजय कुमार निराला, श्रद्धा पाण्डे, डॉ विजेन्द्र सिंह , प्रवीण सिंह।
चित्र आभार : IIS University, Jaipur स्त्रोत : किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) 2015